शांति देवी कमलेश कुमार यादव

बनाम

महाराष्ट्र राज्य और अन्य

(सिविल अपील सं. 5243/2008)

26 अगस्त, 2008

[दलवीर भंडारी और हरजीत सिंह बेदी, जेजे.]

प्रशासनिक कानूनः

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत-जाति जांच से पहले मामला समिति-आदेशों के लिए सुनवाई का समापन-उसके बाद, जाति निरीक्षण और प्रतिनिधि के लिए प्रमाणपत्र रजिस्टर बुलाया गया तहसीलदार का कार्यालय, बयान दर्ज करने के लिए, बिना किसी सूचना के अपीलार्थी निर्णित यह प्राकृतिक न्याय, समानता और सदविवेक के सिद्धांतों का उल्लंघन है-जाति समीक्षा समिति को नये सिरे से निर्णय देने हेतु प्रेषित मामला।

जाति जांच समिति के समक्ष आदेशों के लिए मामले की सुनवाई बंद होने के बाद, जाति प्रमाण पत्र रजिस्टर और कार्यालय के प्रतिनिधि तहसीलदार को अपीलार्थी को बिना किसी सूचना के बुलाया गया। पीड़ित अपीलार्थी ने रिट याचिका दायर की जो थी, खारिज कर दी गयी। इसलिए वर्तमान अपील की गई है।

अपील का निपटारा करना और मामले को प्रेषित करना जाति जाँच समिति, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

विवादित फैसले में कोई विवेचन नहीं है, अपीलार्थी की मुख्य व्यथा के बारे में कि जाति प्रमाणपत्र रजिस्टर क्यों बुलाया गया था 28.10.2003 को निरीक्षण हेतु और तहसीलदार कार्यालय, बॉम्बे से प्रतिनिधि के कथन, समापन के बाद दिनांक 7.11.2003 को क्यों दर्ज किये गये थे। सुनवाई की गई। उत्तरदाता कोई संतोषजनक जानकारी नहीं दे सका। जवाब दिया गया कि जाति रजिस्टर को निरीक्षण के लिए क्यों बुलाया गया था और कार्यालय के प्रतिनिधियों के बयान तहसीलदार को समापन के बाद दर्ज किया गया था। अपीलार्थी को बिना किसी सूचना के सुनवाई प्राकृतिक न्याय, समानता, सद् विवेक और निष्पक्षता के सिद्धांतों के अनुरूप, विवादित निर्णय उच्च न्यायालय और जाति जांच समिति का अपास्त किया जाता है। [पैरा 6 से 8] [807-बी-ई]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील सं. 5243/2008

बॉम्बे में उच्च न्यायालय के सिविल रिट याचिका 9231/2003 में पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 14.10.2005 से।

हरीश एन. साल्वे, सुशील करंजकर और के.एन. राय अपीलार्थी की ओर से।

अपराजित सिंह, अनिरुद्ध पी.मयी, संजय खार्डे, आशा जी.नायर, मकरंद डी.अदकर, विजय कुमार, विक्रम, विश्वजीत सिंह, सी.के. सासी, अनूप कुमार श्रीवास्तव, रामेश्वर प्रसाद गोयल, पी.आर. रामासेश, राहुल गुप्ता, रीमा शर्मा, सिद्धार्थ चौधरी और भार्गव वी.दासाई उत्तरदाताओं की ओर से।

न्यायालय का निर्णय दलवीर भंडारी, जे. के द्वारा दिया गया -

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. अपीलकर्ता द्वारा यह अपील बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट याचिका संख्या 9231/2003 में दिए गए निर्णय दिनांक 14.10.2005 से व्यथित होकर प्रस्तुत की है।

3. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की मुख्य आपत्ति प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अपालन रहा है। अपीलकर्ता द्वारा जाहिर किया गया है कि मामले की सुनवाई 29.09.2003 को जाति जांच समिति के समक्ष आदेश के लिए बंद कर दी गई। अपीलकर्ता को बिना सूचना दिए 28.10.2003 को जाति प्रमाण पत्र रजिस्टर मंगवाया गया तथा साथ 07.11.2003 को तहसीलदार के प्रतिनिधि को बुलाया गया, जो जाति जांच समिति का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों का उल्लंघन है।

4. अपीलकर्ता के अनुसार यह व्यथा उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष स्पष्ट रूप से व्यक्त की गई थी लेकिन उन्होंने इस तथ्य पर विचार नहीं किया है। इसलिए उभय पक्षकारों को सुनवाई के पश्चात् नये सिरे से निर्णय देने के लिए न्यायहित में मामले को जाति जांच समिति को प्रतिप्रेषित किया जावे।

5. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के पश्चात् मामले को रिमांड किया जाए या नहीं इस आशय का नोटिस जारी किया जावे।

6. उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागणों को विस्तारपूर्वक सुना और अभिलेख पर मौजूद दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। आक्षेपित निर्णय में अपीलकर्ता की मुख्य व्यथा के बारे में कोई विवेचन नही किया गया है कि सुनवाई के पश्चात् जाति प्रमाण पत्र रजिस्टर को दिनांक 28.03.2003 को निरीक्षण के लिए क्यों बुलाया गया

और तहसीलदार बॉम्बे सिटी के कार्यालय प्रतिनिधि के बयान 07.11.2003 क्यों दर्ज किया गया।

7. हमने प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना लेकिन वे इस बारे में कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए कि अपीलकर्ता को सूचना दिए बिना सुनवाई के समापन के बाद जाति रजिस्टर को निरीक्षण के लिए क्यों मंगाया गया और सुनवाई के समापन के बाद तहसीलदार बॉम्बे सिटी के कार्यालय के प्रतिनिधियों के बयान क्यों दर्ज किए गए।

8. यह न्यायालय प्राकृतिक न्याय, समानता, सद् विवेक और निष्पक्षता के सिद्धांतो के अनुरूप उच्च न्यायालय और जांच समिति के आक्षेपित निर्णयों को रद्द करने के लिए बाध्य है।

9. परिणामतः उभय पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के पश्चात् मामले को नये सिरे से तय करने के लिए जाति जांच समिति को प्रतिप्रेषित किया जाता है। जाति जांच समिति यह सुनिश्चित करेगी की अपीलकर्ता को नोटिस दिए बिना कोई सुनवाई या विचार विमर्श न हो।

10. मामला कई वर्षों से लंबित है, इसलिए जाति जांच समिति से यह अपेक्षा की जाती है कि मामले को शीघ्राशीघ्र निस्तारित किया जावे। अन्य कोई निर्देश अपेक्षित नहीं है। तदनुसार यह अपील बिना खर्चे के निस्तारित की जाती है।

डी.जी. अपील खारिज की गई।

[यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी **दीपक पाराशर (आर.जे.एस.)** द्वारा किया गया है।]

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।